प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत दिनांक 15.11.2026

थाना बडौत पुलिस द्वारा ग्राम मलकपुर में अपने भाई की हत्या कर मिथ्या साक्ष्य गढ कर उसकी गुमशुदगी लिखाने से सम्बन्धित प्रकरण में थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 790/26 का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी ब्रेजा नं0 DL3CDC9720 तथा मृतक के 02 चश्में, 01 सर्टिफिकेट हैन्डीकेप्ट, 01 बैंक पासबुक तथा 01 मोबाइल चार्जर तथा 02 डायरी बरामद।



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.2026 को थाना बडौत पर वादी श्री नरेन्द्र पुत्र श्री बाबूराम निवासी ग्राम मलकपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि वादी का भाई हरेन्द्र पुत्र बाबूराम घर से अपनी गाड़ी नं0 DL3CDC9720 को लेकर तारीख के लिये नोएडा जाने के लिये कहकर गया है किन्तु घर वापस नहीं आया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर गुमशुदगी नं0 55/2026 पंजीकृत की गयी जिसकी जाँच उ0नि0 विपिन कुमार के द्वारा की गयी।

नोटः-

उक्त गुमशुदगी की जाँच में उ0नि0 विपिन के द्वारा पाया गया कि अभियुक्तगण 1.नरेन्द्र पुत्र बाबूराम निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत, 2.विपुल पुत्र राजबीर निवासी रमाला थाना रमाला जनपद बागपत, 3.प्रभाष पुत्र सुरेन्द्र निवासी धनौरा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत 4.राज पुत्र सुभाष निवासी हजूराबादगढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत, 5.नितिन पुत्र राजपाल निवासी रूस्तमपुर बावली थाना बडौत जनपद बागपत, 6. एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा एक राय होकर षडयंत्र

कर हरेन्द्र पुत्र बाबूराम निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 53 वर्ष की हत्या कर शव को कहीं छिपा दिया है तथा मिथ्या साक्ष्य गढने के उद्देश्य से अभियुक्त नरेन्द्र द्वारा मृतक हरेन्द्र की गुम हो जाने के सम्बन्ध में थाने पर गुमशुदगी दर्ज करा दी।

उक्त जाँच एवं उ0नि0 के द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 790/26 धारा 190/191(2)/217/103(1)/238/61(2) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण 1.नरेन्द्र पुत्र बाबूराम निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत, 2.विपुल पुत्र राजबीर निवासी रमाला थाना रमाला जनपद बागपत, 3.प्रभाष पुत्र सुरेन्द्र निवासी धनौरा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत, 4.राज पुत्र सुभाष निवासी हजुराबादगढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत, 5.नितिन पुत्र राजपाल निवासी रूस्तमपुर बावली थाना बडौत जनपद बागपत, 6.एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम मलकपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत ने पूछताछ में बताया कि हरेन्द्र उसका बड़ा भाई है तथा दोनों के हिस्से में 08-08 बीघा जमीन आती है। हरेन्द्र द्वारा अपने हिस्से में से 400 गज जमीन नितिन निवासी ग्राम बावली को बेच दी गई थी तथा वह शराब पीने का आदी था। इस बात से परेशान होकर नरेन्द्र ने अपने रिश्तेदार विपुल पुत्र राजवीर निवासी ग्राम रमाला के साथ मिलकर हरेन्द्र की हत्या कर उसकी 08 बीघा जमीन प्राप्त करने तथा बाद में आधी-आधी बांटने की योजना बनाई। इस योजना में विपुल ने अपने साथी प्रभास पुत्र सुभाष निवासी ग्राम धनौरा टीकरी, राज पुत्र सुभाष निवासी ग्राम हजूराबाद गढ़ी तथा एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को शामिल किया। योजनानुसार दिनांक 17.09.2026 को विपुल हरेन्द्र को उसकी ब्रेजा गाड़ी संख्या DL3CDC9720 से अपने साथ ले गया। रात्रि करीब 11 बजे विपुल ने नरेन्द्र को बताया कि हरेन्द्र की हत्या कर शव छिपा दिया गया है तथा उसे हरेन्द्र की गुमशुदगी दर्ज करानी है। सात वर्ष बाद जमीन उसके नाम होने पर आधी जमीन विपुल को देनी होगी। नरेन्द्र ने शव के ठिकाने के संबंध में जानकारी होने से इनकार किया।

अभियुक्त राज उज्जवल पुत्र सुभाष निवासी ग्राम हजूराबाद गढ़ी थाना सिंघावली अहीर उम्र करीब 22 वर्ष ने पूछताछ में बताया कि वह हरेन्द्र को मामा कहता था। हरेन्द्र ने उसकी स्विफ्ट गाड़ी का करीब 5.5 लाख रुपये का फाइनेंस जमा कराया था, लेकिन बाद में गाड़ी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। इसी दौरान नरेन्द्र, विपुल एवं प्रभास ने उसे हरेन्द्र के उसकी मां से अवैध संबंध होने की बात बताई, जिससे वह गुस्से में आ गया। तीनों ने उसे दिनांक 17.09.2026 को मिलने के लिए बुलाकर हरेन्द्र की हत्या की योजना में शामिल किया। योजना के अनुसार उक्त दिन विपुल एवं हरेन्द्र ब्रेजा गाड़ी से राज के पास पहुंचे तथा सभी बड़ौत स्थित राज पैलेस के पास पशु पैठ पर गए, जहां प्रभास एवं

एक अन्य अज्ञात व्यक्ति मौजूद थे। वहां शराब पीने के बाद राज को ब्रेजा गाड़ी की ड्राइवर सीट पर, हरेन्द्र को बराबर वाली सीट पर तथा विपुल व प्रभास को पीछे बैठाया गया। राज के अनुसार विपुल एवं प्रभास ने हरेन्द्र के गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सभी शव को लेकर घूमते रहे तथा रात्रि में ग्राम रमाला के श्मशान घाट पहुंचे, जहां अज्ञात व्यक्ति लकड़ी एवं पेट्रोल लेकर पहले से मौजूद था। वहां शव को लकड़ी एवं पेट्रोल से जला दिया गया तथा बचे हुए अवशेषों को पन्नी में रखकर ब्रेजा गाड़ी में रख लिया गया। इसके बाद राज अपनी गाड़ी लेकर घर चला गया तथा विपुल, प्रभास एवं अज्ञात व्यक्ति ने शेष अवशेषों को ठिकाने लगा दिया, जिसकी जानकारी राज को नहीं है ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.11.2026 को थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 790/26 धारा 190/191(2)/217/103(1)/ 238/61(2) बीएनएस का अनावरण करते हुये 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी ब्रेजा नं0 DL3CDC9720 तथा मृतक के 02 चश्में, 01 सर्टिफिकेट हैन्डीकेप्ट, 01 बैंक पासबुक तथा 01 मोबाइल चार्जर तथा 02 डायरी बरामद हुयी है । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थान बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1.राज उज्जवल पुत्र सुभाष निवासी ग्राम हजुराबाद गढ़ी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष ।

2.नरेन्द्र पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम मलकपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत उम्र करीब 42 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 गाड़ी नं0 DL3CDC9720
- 02 चश्में
- 01 सर्टिफिकेट हैन्डीकेप्ट
- 01 बैंक पासबुक
- 01 मोबाइल चार्जर
- 02डायरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 दीक्षित त्यागी थाना बडौत जनपद बागपत।

2-निरीक्षक अपराध रामकुमार कुन्तल थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-उ0नि0 आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

4- उ0नि0 विपिन कुमार थाना बडौत बागपत।

5- है0का0 820 अमित कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

6- है0का0 362 अमरजीत सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।

7- है0का0 787 गौरीशंकर थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना छपरौली दिनाँक –15.11.2026

थाना छपरौली पुलिस ने ग्राम कुर्डी में मोटर साइकिल सवार पर फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 266/26 में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.11.2026 को थाना छपरौली पर वादी ओमकार पुत्र धारा निवासी ग्राम कुर्ड़ी थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.संदीप पुत्र किरणपाल, 2.अक्षय पुत्र सोनू, 3. विभु पुत्र ओमपाल, 4.अजय पुत्र भगत, 5. राजन पुत्र ओमपाल, 6.पार्पिनिकल पुत्र अशोक निवासी ग्राम कुर्ड़ी थाना छपरौली जनपद बागपत, 7. वाशु पुत्र सुभाष निवासी पट्टी भुवाला कस्बा व थाना छपरौली द्वारा वादी के पुत्र अमित व उसके दोस्त अरूण की चलती हुई मोटर साइकिल पर तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे वादी के पुत्र की मोटर साइकिल गिर गयी व एक राय होकर हाथों में लोहे की रॉड व लाठी डंडों से जान से मारने की नीयत से हमला कर मारपीट की, जिससे वादी का पुत्र व

उसका दोस्त मौके पर ही बेहोश हो गये व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 263/26 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/351(3)/352/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 263/26 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/351(3)/352/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

राजन पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सुजीत कुमार सिंह थाना छपरौली।
2-है0का0 520 सरफराज थाना छपरौली।
3-है0का0 708 कपिल वर्मा थाना छपरौली।

प्रेस नोट

थाना खेकड़ा दिनाँक – 15/11/2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से कुल 4,000 रुपये नगद व 52 ताश के पत्ते बरामद।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से कुल 4,000 रुपये नगद व 52 ताश के पत्ते बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अनिल पुत्र माईचन्द निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-अजय पुत्र श्री लीलेराम निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-हेमन्त उर्फ पिंकू पुत्र श्री विजयपाल निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

4-करण पुत्र श्री संजय निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- कुल 4000 रुपये नगद।
- 52 ताश के पत्ते।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-का0 893 राहुल शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-का0 1058 शरद यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

4-का0 244 भूपेन्द्र थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 15.11.2026

थाना खेकडा पुलिस ने ग्राम बसी से भैंसा चोरी करने के सम्बन्ध में थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 388/26 का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो नंबर DL-5SAZ-1756, घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो पिकअप नंबर DL-1LAH-7518, एक लोहे की हथौड़ी, एक हैंड ग्राइंडर मशीन मय बैटरी, एक चाबी, दो ग्राइंडर ब्लेड, पशुओं को बांधने वाला एक रस्सा व भैंसा को बेचकर प्राप्त कुल 13,000/- रुपये नगद बरामद।

<u>संक्षिप्त विवरण:-</u>

दिनाँक 01.11.2026 को थाना खेकड़ा पर वादी महासिंह पुत्र इन्दराज सिंह निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 30/31.10.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर से भैंसा उम्र करीब 05 वर्ष को चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 388/26 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया।





<u>कार्यवाही:-</u>

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 388/26 धारा 305(a) बीएनएस में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो नंबर DL-5SAZ-1756, घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो पिकअप नंबर DL-1LAH-7518, एक लोहे की हथौड़ी, एक हैंड ग्राइंडर मशीन मय बैटरी, एक चाबी, दो ग्राइंडर ब्लेड, पशुओं को बांधने वाला एक रस्सा व भैंसा को बेचकर प्राप्त कुल 13,000/- रुपये नगद बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-योगेंद्र पुत्र जवाहर सिंह निवासी लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
2-तरुण पुत्र कालीचरण निवासी लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
3-जाहिद पुत्र स्वर्गीय इकबाल निवासी ग्राम नंगला मूसा थाना निवाड़ी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- एक मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो नंबर DL-5SAZ-1756
- घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो पिकअप नंबर DL-1LAH-7518,
- एक लोहे की हथौड़ी, एक हैंड ग्राइंडर मशीन मय बैटरी, एक चाबी, दो ग्राइंडर ब्लेड, पशुओं को बांधने वाला एक रस्सा।
- भैंसा को बेचकर प्राप्त कुल 13,000/- रुपये नगद।

गिरफ्तार अभियुक्त योगेन्द्र उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 205/25 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2-मु0अ0सं0 206/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना खेकडा।

2-उ0नि0 श्री भुवनेश्वर कुमार थाना खेकडा।

3-है0का0 396 नितेश कुमार थाना खेकडा।

4-है0का0 299 रामकुमार थाना खेकडा।

5-का0 750 कुशलपाल सिंह थाना खेकडा।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 15.11.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद से चोरी की हुई मोटरसाईकिल पल्सर नं0 UP-14FN-9402 बरामद ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद से चोरी की गयी एक मोटरसाईकिल पल्सर नं0 UP-14FN-9402 बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1- तैय्यब पुत्र जुल्फिकार निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2- प्रशान्त पुत्र विनेश निवासी ग्राम सैदपुर थाना खेकडा जनपद बागपत।

3- तौहीद पुत्र सलीम निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **मोटरसाईकिल पल्सर नं0 UP-14FN-9402 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 90/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद)**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-का0 739 धर्मेन्द्र शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-का0 207 रिंकू सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4-का0 231 गौरव विधौलिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

5-का0 143 अमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना रमाला साइबर टीम , जनपद बागपत

नवम्बर- 2026

थाना रमाला साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह नवम्बर-2026 में आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि कुल- 12,096/- रूपये वापस कराये गये–



आवेदक/पीडित श्री संदीप पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन 16,300 रुपये की धोखाधडी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर दर्ज करायी, जिसका ACK. N0-33104260084677 है, शिकायत प्राप्त होने पर थाना रमाला साइबर टीम द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी। पीडित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि में से 12,096 रुपये को वापस कराया गया।

आवेदक/पीडित को रुपये वापस मिलने पर थाना रमाला पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	नाम थाना	प्रा0पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	रमाला	33104260084677	12,096 रुपये

आवेदक/पीडित को रुपये वापस कराने वाली टीमः-

1-उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-रि0का0 493 धीरेन्द्र इंदौलिया थाना रमाला जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना बड़ौत

दिनांक 15-11-2026

थाना बड़ौत पुलिस ने 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार।



जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर अमरपाल सिंह पुत्र सुरेश पाल सिंह निवासी ग्राम ढिकाना थाना बड़ौत जनपद बागपत उम्र 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पाऊच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 791/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

baghpatpolice